उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं0 / Ref.No. 134/OA No-107/2022/22-23 दिनांक / Date 27-4-22

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.

Sub: Action taken report in compliance of the order passed by Hon'ble NGT dated 17.02.2022 in OA No. 107 of 2022 Awadhesh Dikshit v/s Union of India & ors.

Sir,

Please refer to the subject noted above. Consequent upon the referenced Order, the designated Committee constituted has made sincere efforts in addressing all the issues in compliance of the referenced Order. The Report with all supporting Annxeure is enclosed with request to kindly place before Hon'ble Tribunal.

Encl. As Above (Total-34 Pages)

Yours faithfully

(Kalika Singh)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action please.

1. Member Secreatory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी–221010, दूरभाष : 0542–2275951, फैक्स : 0542–2275951
मुख्यालय: टी0सी0–12वी. विभूति खण्ड. गोमती नगर. लखनऊ–226010. दूरभाष : 0522–2720828. 2720681. 2720831. फैक्स : 0522–2720764

REPORT

PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT), NEW DELHI

O.A. No. 107 of 2022

In the matter of Awadhesh Dikshit Vs. Union of India & ors.

01. Background

Taking note of complaint made to the Hon'ble Tribunal regarding illegal mining of soil and sand on the bank of River Ganga with the help of Pokeland and JCB Machine from Assi Ghat to Raj Ghat, Hon'ble Tribunal has passed order dated 17.02.2022. The relevant part of the order is as follows:

> **"... Having regard to the seriousness of the allegations, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the National Mission for Clean Ganga, State PCB, SEIAA and District Magistrate, Varanasi. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance..."**

02. Action Taken

In compliance of the said order the following team was constituted.

Nominated Members

1. Dr. B.B. Awasthi, Member, SEAC, U.P.(Rep of SEIA, U.P.)

2. Shree Kalika Singh, Regional Officer (Representativ of State Pollution Control Board)

3. Shree Raj Kumar, Deputy Director, NMCG, New Delhi. (Rep of NMCG, New Delhi)

4. District Magistrate, Varanasi (Represented by ADM (F/R), Varanasi)

Others Members

1. Shree Gireesh Kumar Dwivedi, ACM-III, Varanasi (Representative of District Magistrate, Varanasi)

2. Dr. Pushpendra Patel ACM-II, Varanasi (Representative of District Magistrate, Varanasi)

3. Shree Parijat Tripathi, Mines Officer, Varanasi (Representative of District Magistrate, Varanasi)

The meeting of the above team was convened on 21.03.2012 through Video Conferencing by the members/representatives of Uttar Pradesh Pollution Control Board, State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttar Pradesh and District Magistrate Varanasi. In the meeting, all the members unanimously decided to conduct physical inspection of the site in question on 14th and 15th April 2022. Accordingly, on-site review by the joint team at Varanasi was undertaken during April14-15, 2022.

03. Observations

The site inspection was done by the committee on 14th and 15th April, 2022. On site inspection it was found that "No

mining process and its related tools and plants were found. Only Marking was done for canal excavation".

04. Thereafter on 15.04.2022 itself the record related to the case were examined. The Mines Officer has informed that as per letter No. 446/81-7-2020-39 (parya)/2014 TC-1 dated 1st May, 2020 of Secretary Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P. for dredging of river or Canal and its maintenance, prior Environment Clearance is not necessary and the same is the position as per notification dated 28.03.2020 issued by Ministry of Environment, Forest & CC Government of India.

True copy of letter dated 01.05.2020 of Secretary Ministry of Environment, Forest & CC, State of U.P. is enclosed as **Annexure-1.**

True copy of notification dated 28.03.2020 issued by Ministry of Environment, Forest & CC, Government of India is enclosed as **Annexure-2.**

It was further informed that the work of dredging/ channelization of canal has been done by the U.P. Project Corporation Ltd. on behalf of Ministry of Jal Shakti.

It has been clarified that dredging is not a mining operation. Hence in this process of mining lease approval, District Survey Report (DSR) preparation activities as well as EC (Environmental Clearance) are not required.

On perusal of record regarding the said project shown by Mines Officer Varanasi, the committee comes to the conclusion that the dredging/channelization work done from Assi Ghat to Rajghat on the left bank of river Ganga does not come under mining operations. Thus, the contention of the petitioner that the said work is illegal mining is baseless, on which no action is required to be taken by the committee. Since it has become clear from the above facts that it does not come under mining operation, then in such a situation the said work does not violate any orders of this Hon'ble Tribunal or Hon'ble Supreme Court of India.

It is further submitted that as per Section 42 of NMCG Authority notification dated 07.10.2016, every person, the State Ganga Committees, District Ganga Protection Committees, local authorities and other authorities shall obtain prior approval of the National Mission for Clean Ganga for engineered diversion and storage of water in River Ganga without affecting the flow of water downstream of the River Ganga. As project involves excavation of Canal, prior approval NMCG may be required.

Apart from this, it has also become clear from the site inspection and perusal of the records available on the file that in the meeting chaired by Hon'ble Minister of Jal Shakti, the Director, Geology and Mining was expected to auction the dredge material, excavated during the

dredging/channelization. The process of disposal of dredged material has been done through e-tender cum e-auction, which has also been published in Hindi daily news **(Annexure-III)** with a view to getting proper publicity. Revenue of 2.52 crore has also been received from the disposal of dredged material, the related challan/receipt is placed on the file. **(Annexure-IV)**

According to the above, the committee is of the opinion that the dredging / channelization work done on the left bank of river Ganga from Assi Ghat to Rajghat is the work done under the project of Ministry of Jal Shakti, which does not come under mining operation and the said work has been done in public interest. The dredging work is completed and the government has also received revenue approx 2.52 crore from the above work. Thus, the said project is a work done in public interest and revenue interest.

04. Recommendations

1. As quantity of sand to be removed from Ganga river in Varanasi from dry channel bed is in order of 10 lakh m3, it is recommended that District Survey Report (DSR) should be prepared as well as EIA studies should also be conducted from a reputed technical institute or approved environmental consultant and the Environmental Clearance (EC) shall be obtain under EIA notification S.O. 1533 dated 14.09.2006 before execution of the Project and necessary clearances

should also be obtained from NMCG and other concern departments.

2. If the sand is removed from the dredging project, then it should be according to the provisions contained in the concerned mandate and if there is a mining lease-related action, then that too should be as per the rules under the mandate.

(Raj Kumar) Deputy Director NMCG, New Delhi	(Kalika Singh) Regional Officer UPPCB, Varanasi	(Dr.B.B. Awashti) Member, SEAC Uttar Pradesh	(Sanjay Kumar) ADM (F/R) Varanasi

Annexure-1

२०.११ अधिकारी
कृ. आवश्यक कार्यवाही न.नी

SDO
ADM(F/R) संख्या– 446/81–7–2020–39(पर्या)/2014 टी0सी0–1
08/06/20

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

ADM F&R

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

DM
26/5/2020

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0–7

लखनऊ: दिनांक: 01 मई, 2020

विषय–पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) सपठित अधिसूचना सं0–1224 (अ) दिनांक 28–03–2020 के परिशिष्ट–9 में निम्न क्रियाकलापों को पूर्व पर्यावरणीय सहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई हैं :–

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिटटी के घड़े,लैम्प, खिलौने,आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिटटी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिटटी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिटी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।
4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिटटी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों तालाबों या बांधों का संनिमार्ण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिटटी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों,तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी 1990 की अधिसूचना सं0–जीयू/90(16)/एमसीआर–2189(68)/5–सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू– पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।
10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत [illegible] ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।

13. "ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रिया [illegible] के रूप में घोषित किया गया है।"

2- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-3204/86-2014-278-[illegible] दिनांक 2[illegible]-10-2014 (उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 37वां संशोधन 2014) में किये गये प्राविधा[illegible] अधीन यह उल्लेख किया गया है कि-

"ईट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तसंचालन से सा[illegible] मृदा, सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओं के अर्न्तगत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह [illegible] ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी"

[illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ईआ[illegible] अधिसूचना दिनांक 28-3-2020 में उल्लिखित क्रियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ0प्र0 उप खनिज प[illegible] नियमावली (37वां संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईट बनाने हेतु हस्तचालित विधि से 02 मीट[illegible] गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता [illegible] होगी।

3- अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधि[illegible] दिनांक-28.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या-446(1)/81-7-2020-39(नयी)/2014 टी0सी0-1, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

Annexure-2

सी.जी.-डी.एल.-अ.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218948
CG-DL-E-28032020-218948

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1088] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/चैत्र 8, 1942
No. 1088] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 2), खान और खनिज (विकास और
का.आ. 1224(अ).—खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 2), एमएमडीआर अधिनियम कहा गया है) द्वारा 10
विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएमडीआर अधिनियम कहा गया है) द्वारा 10
जनवरी, 2020 से प्रभावी संशोधन किया गया है और अन्य बातों के साथ कानूनी निर्वाधन के अंतरण के लिए उपबंधों से
संबंधित नई धारा 8ख का अंत:स्थापन किया गया है;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम में या
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के
उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए
गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से अर्जित सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन,
निकासी, अनुज्ञप्ति और इसी प्रकार दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित होना समझा जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (3) यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में
अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह उस भूमि पर जिसमें नया पट्टा के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती
पट्टादार द्वारा खनन संक्रियाएं कार्यान्वित किए जा रहे थे, निरंतर खनन संक्रियाओं को नए पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण किया
जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम को पूर्वोक्त संशोधन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक समझती है।

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सड़कों के लिए साधारण पृथ्वी का उपयोग करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा के अधित्याग के लिए अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर; और पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोले (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् और अधिसूचना सं. का. आ. 4307 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 को अधिक्रांत करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) पैरा 11 में, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाएं गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित नया पट्टा के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति विधिमान्य अर्जित किया गया समझा जाएगा और यह नया पट्टा प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उसमें उल्लिखित निबंधनों शर्तों के अनुसार नया पर्यावरणीय अनापत्ति, नया निकासी अभिप्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उक्त पट्टा क्षेत्र पर पूर्ववर्ती पट्टेदार का स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निरंतर खनन संक्रिया नया पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण होंगी;

परन्तु, सफल बोली लगाने वाला नया पट्टा मंजूर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा और अभिप्राप्त करेगा।";

(ii) अनुसूची के मद 1 (क) के सामने, स्तंभ (5) के खंड (2) के टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) उक्त पट्टा के अवसान के पश्चात् पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अधीन खनन पट्टे के अवसान होने तक भीतर पड़ी पहले से ही खनिज बाह्य सामग्री का निष्क्रमण या निष्कासन और परिवहन उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोली लगाने की इस प्रकार अनुज्ञात खनन हैसियत के भाग के रूप में नहीं होगा।"

(iii) परिशिष्ट – IX के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परिशिष्ट – 9

कतिपय मामलों के पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी ।

2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।

3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।

5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।

6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।

7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।

8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं. जीयू / 90 (16)/ एमसीआर– 2189 (68) / 5 – सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।

9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।

10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।

11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सकें।

13. ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

[फा. सं. जेड–11013 / 47 / 2018–आई. ए. II (एम)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित सं. द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया :-

1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;

Anexure-3

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद वाराणसी तहसील सदर स्थित ग्राम कोदोपुर के आराजी संख्या 295 गंगा नदी के बायें तट पर स्थित अस्सी घाट सामने घाट व राजघाट पर पानी का दबाव कम करने हेतु ड्रेजिंग/चैनेलाइजेशन के कार्य के फलस्वरूप निकाले गये ड्रेज्ड मैटीरियल (साधारण बालू) जो कुल 09 लाट वाइज इकट्ठा किया गया है, का निस्तारण/उठान/निकासी जिलाधिकारी वाराणसी के आदेश दिनांक 29.05.2021 के द्वारा शासनादेश संख्या–28/2020–758/86–2020–7(सा0)/2019 दिनांक 19.05.2020 तथा शासनादेश संख्या–906/86–2020–07(सा0)/2019 दिनांक 18.06.2020 के तहत ड्रेज्ड मैटेरियल/भण्डारित उप खनिज को ई–निविदा के माध्यम से 06 माह की अवधि के लिये अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 01.06.2021 से 08.06.2021 सायं 05 बजे तक ई–निविदा प्रपत्र प्रारूप–2 पर आमंत्रित की जाती है।

विवरण–

क्र0 सं0	भण्डारित बालू की लॉट क्रमांक संख्या	ग्राम	तहसील	खनिज के भण्डारण की गाटा संख्या	खनिज का नाम	नियमावली 1963 के अनुसूची–1 के अनुसार सा0 बालू की रायल्टी दर रू0 प्रति घनमीटर	भण्डारित बालू की मात्रा (घन मीटर में)	आंकलित भण्डार की कुल रायल्टी (कालम–7) में अंकित घनमीटर को कालम 6 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	कोदोपुर	सदर	295	सा0 बालू	65/–	84,500	54,92,500.00
2	2						87,200	56,68,000.00
3	3						73,640	47,86,600.00
4	4						60,725	39,47,125.00
5	5						28,950	18,81,750.00
6	6						92,500	60,12,500.00
7	7						57,500	37,37,500.00
8	8						28,475	18,50,875.00
9	9						44,000	28,60,000.00

उक्त विज्ञप्ति जिलाधिकारी वाराणसी के पोर्टल e-tender.up.nic.in पर प्रकाशित है, जिसपर सम्पूर्ण विवरण देखे जा सकते है साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय (खनन अनुभाग) कार्यालय में आकर समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कौशल राज शर्मा
जिलाधिकारी
वाराणसी।

पत्र संख्या– 581 / दिनांक। 31/05/2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0 लखनऊ।
3– प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र।
4–निदेशक, सूचना, उ0 प्र0।
5– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी, लखनऊ।
6– उपनिदेशक सूचना/जिला सूचना अधिकारी सिगरा, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि किन्ही दो दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

Annex-IV

0-10963

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2
प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

<u>धनराशि जमा करने का चालान फार्म</u>

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक........................

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम ....
मे0 राकेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह
निवासी मझभिटिया, छोटालालपुर जनपद वाराणसी

2. पता– ....

3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण — ग्राम कोदोपुर के लाट संख्या 02 में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु देय रायल्टी की अवशेष धनराशि 43,81,800.00

(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

5. चालान की सकल राशि– ....
6. चालान की निबल राशि– ....
7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण <u>विवरण / लेखा–शीर्षक</u> की मुहर: 0853-अलौह [illegible] 102 [illegible]
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0853	00	102	00	00	43,81,800.00

धनराशि (शब्दो मे)..तिरालीस लाख इक्यासी हजार आठ सौ रूपये मात्र। योग 43,81,800.00

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या: GG00184

शब्दो में रू0
अंको में रू0

दिनांक: ....

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

Varanasi 221002
16 JUL 2021
Mohit Kumar Singh PF-8538522
Maker Checker

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2

प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक..........................

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम .... मे0 राकेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह निवासी मझभिटिया, छोटालालपुर जनपद वाराणसी

2. पता

.........................लॉट संख्या–2.........................

3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण — ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु जमा अर्नेष्ट मनी की धनराशि– 14,60,600.00

(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

5. चालान की सकल राशि– ....चेक 140534..

6. चालान की निबल राशि– ....

7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा–शीर्षक की मुहरः 0853-अलौह [illegible] धातुकर्म उद्योग 102 खनिजों रियायतों फीस [illegible] किराये और रायल्टी

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको मे)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	14,60,600.00

धनराशि (शब्दो मे)..चौदह लाख साठ हजार छः सौ रूपये मात्र योग 14,60,600.00

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्याः ....GK 00182........

शब्दो में रू0

अंको में रू0

दिनांकः ....

भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, वाराणसी
State Bank of India, Main Br., Varanasi
20 JUL 2021
Br. Code 00201
RAJESH SINGH: PF No.-6589294
Maker
Checker

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

राकेश कुमार सिंह / मझिगिरिया होलालपुर

D-1096

जमा पर्ची /PAY -IN-SLIP

भारतीय स्टेट बैंक SBI

STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch ....

नगद / अन्तरण

CASH/TRANSFER

दिनांक

Date 16/7/2021

खाते का प्रकार : बचत बैंक/चालू खाता/आवर्ती/कैश क्रेडिट/सावधि जमा

TYPE OF ACCOUNT : SB / CA / RD / CC / TL

खाता संख्या / Account Number

खाता संख्या-37284364153

के बैंक खाते में जमा करने हेतु / For the Credit of the bank account of ....

नकद/चेकों का विवरण / Details of Cash/Cheques (पर्ची क दूसरी ओर / Overleaf)	राशि/AMOUNT रू./Rs.	पै./P.
खाते में नकद जमा / Cash Deposit in the account		
नकदी रखरखाव शुल्क / Cash handling charges	5,84,240/-	
कुल जमा / TOTAL DEPOSIT	5,84,240/-	

रूपए (शब्दों में) / Rupees (in words) पाँच लाख चौरासी हजार दो सौ चालीस मात्र

कार्यालय उपयोग हेतु / FOR OFFICE USE

एसडब्ल्यूओ SWO	रोकड़ अधिकारी/पासकर्ता अधिकारी Cash Officer/passing Officer

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2
प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा — भारतीय स्टेट बैंक

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम — मे0 शोहराब अली अंसारी पुत्र अब्दुल शमद अंसारी निवासी बबूरी जिला चन्दौली 2.

2. पता–

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण — ग्राम कोदोपुर के लाट संख्या 03 में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल/भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु देय रायल्टी की अवशेष धनराशि 37,00,410.00

(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

5. चालान की सकल राशि– [illegible] सं० - 768476

6. चालान की निबल राशि–

7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा–शीर्षक की मुहरः 0853-अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग 102 खनिज रियायती फीस मस्वन्बा किराये और रायल्टी

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको मे)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	37,00,410.00
				योग	37,00,410.00

धनराशि (शब्दो मे)..सैतीस लाख चार सौ दस रूपये मात्र

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

(मुहर: जिला खनिज अधिकारी चन्दौली)

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्याः GR00102

शब्दो में रू0
अंको में रू0

दिनांकः

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, वाराणसी
State Bank of India, Main Br., Varanasi
27 JUL 2021
Br. Code 00201
RAJESH [illegible] PF No. 656294
Maker
Checker

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2

प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक..........................

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम .... मे0 शोहराब अली अंसारी पुत्र अब्दुल शमद अंसारी
2. पता निवासी बबूरी जिला चन्दौली ....
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व पद संख्या ....लाट संख्या 03...
....
(यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल/भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु जमा अर्नेष्ट मनी की धनराशि– 12,33,470.00

(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

5. चालान की सकल राशि– ....डी0 डी0 संख्या– 482388...............................
6. चालान की निबल राशि– ....
7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा–शीर्षक की मुहरः 0853-अलौह [illegible] अनुक्रम.उद्यान.. 10. [illegible] रायल्टी फीस सम्बन्धी किराये और रायल्टी
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराथि (अंको मे)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	12,33,470.00

धनराशि (शब्दो मे)..बारह लाख तैतीस हजार चार सौ सत्तर रूपये मात्र। योग 12,33,470.00

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

(मुहर: खनिज ... अनुभाग ...)

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्याः ......GN00212.........

शब्दो में रू0

अंको में रू0

दिनांकः ....

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

(मुहर: भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, वाराणसी राहुल श्रीवा० PF No. 6713288 23 JUL 2021 चालान सं०/Challana No. .... BSR Code: 0000201)

शोहराब अली अंसारी S/o अब्दुल शमद अंसारी
नि० बधुरी जिला-चन्दौली

जमा पर्ची /Pay-in-Slip

SBI भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

नगद / अन्तरण
CASH/TRANSFER

खाता संख्या Account Number ....

दिनांक
Date 11/08/2021

खाते का प्रकार : बचत बैंक / चालू खाता / आवर्ती जमा / कैश क्रेडिट / सावधि ऋण
TYPE OF ACCOUNT : SB/ CA/ RD/ CC/ TL

खाता संख्या / Account Number

खाता संख्या-37284364153

जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, वाराणसी
के बैंक खाते में जमा करने हेतु / For the credit of the bank account of ....

नकद / चेकों के विवरण/Details of Cash/ Cheques (पर्ची के दूसरी ओर/Overleaf)	राशि / AMOUNT रु/ Rs.	पै / P.
खाते में नकद जमा / Cash Deposit in the account चेक नं 82045/-	4,93,388/-	
नकदी रखरखाव शुल्क / Cash Handling Charges 768478	/	
कुल जमा / TOTAL DEPOSIT	4,93,388/-	

रुपये (शब्दों में) /Rupees (in words) चार लाख तेरानबे हजार तीन सौ अट्ठासी मात्र

कार्यालय उपयोग हेतु / FOR OFFICE USE

एसडब्ल्यूओ SWO		रोकड़ अधिकारी / पासकर्ता अधिकारी Cash Officer/Passing Officer	

[illegible]

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक........................

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम — मे0 कमल नारायण सिंह पुत्र श्री ईश्वरी नारायण सिंह
2. पता — निवासी बी–32 / 32–18 साकेत नगर लंका वाराणसी।
3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो) — OTC-05
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण — ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु देय रायल्टी की अवशेष धनराशि– 14,69,212.00

(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) डी॰ डी॰ संख्या- 5/6/25

5. चालान की सकल राशि– ....
6. चालान की निबल राशि– .... 0853-अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग 10.
7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा–शीर्षक की मुहरः खनिजों रियायतों फीस लगान्या किराये और रायल्टी
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको मे)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	14,69,212.00

धनराशि (शब्दो मे)..चौदह लाख उन्हत्तर हजार दो सौ बारह रूपये मात्र। योग 14,69,212.00

(मुहर: खनिज अधिकारी ... 231)

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्याः FT0099

शब्दो में रू0

अंको में रू0

दिनांकः ....

(मुहर: भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा (0201) वाराणसी समाशोधन द्वारा प्राप्त किया 29 JUN 2021 STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH, VARANASI (0201) Received by Clearing)

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

... भाग – 2

प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक ....

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम — मे0 कमल नारायण सिंह पुत्र श्री ईश्वरी नारायण सिंह
2. पता — निवासी बी–32 / 32–18 साकेत नगर लंका वाराणसी।
3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण — ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु जमा अर्नेष्ट मनी की धनराशि– 4,70,438.00

(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) डी.डी. सं०ख्या- 5/6/23

5. चालान की सकल राशि– ....
6. चालान की निबल राशि– ....
7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा–शीर्षक की मुहर: 0853–अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग 102 खनिज रियायती फीस ... किराये और रायल्टी
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको मे)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	4,70,438.00

धनराशि (शब्दो मे)..चार लाख सत्तर हजार चार सौ अड़तीस रुपये मात्र। योग 4,70,438.00

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या: FT000105

शब्दो में रू0

अंको में रू0

दिनांक: ....

भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा (0201) वाराणसी समाशोधन द्वारा प्राप्त किया 28 JUN 2021 STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH, VARANASI (0201) Received by Clearing

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

लाल नारायण सिंह S/o डिखरा नारायण सिंह
निवासी - B-32/32-18 साकेत नगर लंका

जमा पर्ची / PAY-IN-SLIP भारतीय स्टेट बैंक SBI STATE BANK OF INDIA Branch	नगद / अन्तरण CASH/TRANSFER दिनांक Date 30/06/2021

- संगग्न खण्ड-5

खाते का प्रकार : बचत बैंक/चालू खाता/आवर्ती/कैश क्रेडिट/सावधि जमा
TYPE OF ACCOUNT : SB / CA / RD / CC / TL

खाता संख्या / Account Number

खाता संख्या - 37284...

के बैंक खाते में जमा करने हेतु / For the Credit of the bank ...
account of ....

नकद/चेकों का विवरण / Details of Cash/Cheques (पर्ची के दूसरी ओर / Overleaf)	राशि/AMOUNT रु./Rs.	पै./P.
खाते में नकद जमा / Cash Deposit in the account	1,93,965/-	
नकदी रखरखाव शुल्क / Cash handling charges		
कुल जमा / TOTAL DEPOSIT	1,93,965/-	

रूपए (शब्दों में) / Rupees (In words) एक लाख तिरानबे हजार नौ सौ पैंसठ मात्र

कार्यालय उपयोग हेतु / FOR OFFICE USE

एसडब्ल्यूओ SWO	रोकड़ अधिकारी/पासकर्ता अधिकारी Cash Officer/passing Officer

डी डी स. 516126

Taxpayers Counterfoil (To be filled up by taxpayer)				SPACE FOR BANK SEAL
TAN	A L D M 0 3 1 6 4 A			Challan No 00011
Received from	MINING DEPATMENT (Name)			
Cash/ Debit to A/c /Cheque No.	121670	For Rs.	38793.00	
Rs. (in words)	अड़तीस हजार सात सौ तिरानबे मात्र			
drawn on	State bank of India (Name of the Bank and Branch)			
Company/Non-Company Deductees				
on account of Tax Deducted at Source (TDS)/Tax Collected at Source (TCS) from ____(Fill up Code)				
(Strike out whichever is not applicable)				
for the Assessment Year	2022 - 23			Rs.

Printed from www.incometaxindia.gov.in

खनिज अनुभाग वाराणसी

कमला नारायण सिंह

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2
प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक........................

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम ....

एम0 सी0 सी0 महादेव कन्सट्रक्शन / प्रो0 श्री अनुप कुमार सिंह पुत्र श्री धर्मजीत सिंह निवासी म0 नं0 बी030 / 5–प्लैट नं0 914 / 915 अम्ब्रोसिया अपार्टमेन्ट बी0एच0यू0 रोड थाना लंका तहसील सदर वाराणसी।

2. पता

3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या .... (यदि आवश्यक हो) ....लाट संख्या 06...

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) — ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु जमा अर्नेष्ट मनी की धनराशि– 15,03,125.00

5. चालान की सकल राशि– ....डी0 डी0 संख्या– 303707................................

6. चालान की निबल राशि– ....

7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा–शीर्षक की मुहर: 0853–अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग 102 खनिजों (रियायतों) फीस भाटकों किराये और रायल्टी

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको मे)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	15,03,125.00

धनराशि (शब्दो मे)..पन्द्रह लाख तीन हजार एक सौ पच्चीस रुपये मात्र। योग 15,03,125.00

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

(मुहर: जिलाधिकारी ... खनिज ... अनुभाग)

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या: ......FP00183......

शब्दो में रू0

अंको में रू0

दिनांक: ....

(मुहर: भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा (0201) वाराणसी समाशोधन द्वारा प्राप्त किया 25 JUN 2021 STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH, VARANASI (0201) Received by Clearing)

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2

प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक........................

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम .... मे0 एम0सी0सी0 महादेव कन्सट्रक्शन श्री रजनी रंजन मिश्रा पुत्र श्री कृष्णकान्त मिश्रा
2. पता निवासी सिद्वार्थपुरम कालोनी मुगलसराय जनपद चन्दौली ....
3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....लाट संख्या–7........................
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु देय रायल्टी की अवशेष धनराशि– 29,18,125.00
5. चालान की सकल राशि– ....चेक संख्या–245466........................
6. चालान की निबल राशि– ....
7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा–शीर्षक की मुहरः 0853-[illegible] 102 [illegible] और रायल्टी
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	29,18,125.00

धनराशि (शब्दो मे)..उन्तीस लाख अठ्ठारह हजार एक सौ पच्चीस रूपये मात्र। योग 29,18,125.00

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के उपयोगार्थ

चालान संख्याः LK 00180

शब्दो में रू0

अंको में रू0

दिनांकः ....

भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, वाराणसी अरविन्द कुमार PF No.-3279669 CODE 00201 20 DEC 2021 प्राप्त किया Challan No.

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार / बैंक मुहर सहित

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2
प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक........................

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम .... एम0 सी0 सी0 महादेव कन्सट्रक्शन / रजनी रंजन मिश्रा पुत्र श्री कृष्णकान्त मिश्रा निवासी सिद्वार्थपुरम कालोनी मुगलसराय जनपद चन्दौली।

2. पता ....

3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या ....लाट संख्या 07........................
(यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण — ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु जमा अर्नेष्ट मनी की धनराशि– 9,34,375.00
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

5. चालान की सकल राशि– ....डी0 डी0 संख्या– 303673........................
6. चालान की निबल राशि– ....
7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा–शीर्षक की मुहरः
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	9,34,375.00

धनराशि (शब्दो मे)..नव लाख चौतीस हजार तीन सौ पचहत्तर रूपये मात्र। योग 9,34,375.00

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्याः ....FP 0018 1....................

शब्दो में रू0
अंको में रू0

दिनांकः ....

भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा (0201) वाराणसी समाशोधन द्वारा प्राप्त किया
25 JUN 2021
STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH, VARANASI (0201) Received by Clearing

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

Taxpayers Counterfoil (To be filled up by taxpayer)

TAN	A L D M 0 3 1 6 4 A
Received from	MINING DEPATMENT (Name)
Cash/ Debit to A/c /Cheque No.	245465 For Rs. 770.50-00
Rs. (in words)	[illegible]
drawn on	STATE BANK of India (Name of the Bank and Branch)
Company/Non-Company Deductees	
on account of Tax Deducted at Source (TDS)/Tax Collected at Source (TCS) from ____ (Fill up Code) (Strike out whichever is not applicable)	
for the Assessment Year	2022-23

SPACE FOR BANK SEAL

भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, वाराणसी
अरविन्द कुमार PF No.-3279669
CODE 06201
21 DEC 2021
चालान सं०/Challan No. 00009

Rs.

Printed from www.incometaxindia.gov.in

खनिज अनुभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, वाराणसी

जमा पर्ची /PAY -IN-SLIP भारतीय स्टेट बैंक SBI STATE BANK OF INDIA शाखा/Branch ....कचहरी........	नगद / अन्तरण CASH/TRANSFER दिनांक Date 20/12/2021

खाते का प्रकार : बचत बैंक/चालू खाता/आवर्ती/कैश क्रेडिट/सावधि जमा
TYPE OF ACCOUNT : SB / CA / RD / CC / TL

खाता संख्या / Account Number

के बैंक खाते में जमा करने हेतु (For the Credit of the bank 37284364153
account of ......जिला हॉस्पिटल एसोसिएशन न्याय वाराणसी

नकद/चेकों का विवरण / Details of Cash/Cheques (पर्ची के दूसरी ओर / Overleaf)	राशि/AMOUNT रू./Rs.	पै./P.
खाते में नकद जमा / Cash Deposit in the account	385,250	/-
नकदी रखरखाव शुल्क / Cash handling charges		
कुल जमा / TOTAL DEPOSIT चेक 245467	3,85,250	/-

रुपए (शब्दों में) (Rupees (In words) तीन लाख पच्चासी हजार दो सौ पचास मात्र

कार्यालय उपयोग हेतु / FOR OFFICE USE

एसडब्ल्यूओ SWO	रोकड़ अधिकारी/पासकर्ता अधिकारी Cash Officer/passing Officer

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2

प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक........................

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम — मे0 बजरंग कन्सट्रक्शन

   श्री श्रीप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 गिरजा शंकर सिंह
2. पता — निवासी ग्राम व पो0 सुसुवाही थाना लंका वाराणसी।
3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो) — .... GIC – 8 ....
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण — ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु देय रायल्टी की धनराशि रू0 – 14,30,868.00

(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) चे.क्र.सं. 943777

5. चालान की सकल राशि– .... 1853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग 102
6. चालान की निबल राशि– .... खनिजों रियायती फीस सम्बन्धी किराया और रायल्टी
7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा–शीर्षक की मुहरः
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको मे)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	14,30,868.00

धनराशि (शब्दो मे)..चौदह लाख तीस हजार आठ सौ अड़सठ रूपये मात्र। योग 14,30,868.00

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्याः ....

शब्दो में रू0

अंको में रू0

दिनांकः ....

FL 00157

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2
प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा	भारतीय स्टेट बैंक
1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	मे0 बजरंग कन्सट्रक्शन श्री श्रीप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 गिरजा शंकर सिंह
2. पता	निवासी ग्राम व पो0 सुसुवाही थाना लंका वाराणसी।
3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो)	
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) चेक सं. 943792	ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु देय रायल्टी हेतु अर्नेष्ट मनी का समायोजन रू0 – 4,62,719.00
5. चालान की सकल राशि–	
6. चालान की निबल राशि–	0853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग 102
7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा–शीर्षक की मुहर:	खनिजों रियायती फीस सम्बन्धी किराये और रायल्टी

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको मे)
0853	00	102	00	00	4,62,719.00

धनराशि (शब्दो मे)..चार लाख बासठ हजार सात सौ उन्नीस रूपये मात्र। योग 4,62,719.00

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

(मुहर: निविदा अनुभाग वाराणसी)

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या: ....

शब्दो में रू0
अंको में रू0

दिनांक: ....

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

FL00156

(मुहर: भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा (0201) वाराणसी समाशोधन द्वारा प्राप्त किया — STATE BANK OF INDIA (VARANASI 0201) RECEIVED BY CLEARING)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2
प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

<u>धनराशि जमा करने का चालान फार्म</u>

Q | 1375

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक ....

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम — मे0 बजरंग कन्सट्रक्शन
श्री श्रीप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 गिरजा शंकर सिंह

2. पता — निवासी ग्राम व पो0 सुसुवाही थाना लंका वाराणसी।

3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण — ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु देय रायल्टी की अवशेष धनराशि– 14,238.00

(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

5. चालान की सकल राशि– .... 0853–अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग 102

6. चालान की निबल राशि– .... खनिज रियायती फीस [illegible] किराये और रायल्टी

7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा–शीर्षक की मुहरः

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको मे)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	14,238.00
					14,238.00

धनराशि (शब्दो मे)..चौदह हजार दो सौ अडतीस रूपये मात्र ...

(मुहर: खनिज ... 16/6/2021 ... वाराणसी)

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

श्री प्रकाश सिंह
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्याः FG00108

शब्दो में रू0
अंको में रू0

दिनांकः ....

भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, वाराणसी
अंजनी कुमार सिंह PF No.-5915570
₹ 14238/-
16 JUN 2021
Br.Code 00201
चालान सं०/Challan No........
BSR Code: 0000201

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2
प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... भारतीय स्टेट बैंक........................

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम ....
मे0 उमा एसोसिएटस
श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री रामगोपाल सिंह

2. पता
निवासी एस–20/56–10–2 एफ–213, सोनल सदन
दी माल रोड, कैन्टोमेन्ट वाराणसी।

3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु जमा अर्नेष्ट मनी की धनराशि– 7,50,000.00

(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

5. चालान की सकल राशि– ....डी0 डी0 संख्या– 274984..............................
6. चालान की निबल राशि– ....
7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा–शीर्षक की मुहरः 0853-अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग 102 खनिजों रियायतों फीस ... किराये और रायल्टी
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको मे)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	7,50,000.00

धनराशि (शब्दो मे)..सात लाख पचास हजार मात्र। योग 7,50,000.00

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्याः ......FT000143......

शब्दो में रू0
अंको में रू0

दिनांकः ....

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित

भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा (0209) वाराणसी समाशोधन द्वारा प्राप्त किया
29 JUN 2021
STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH VARANASI (0209) Received by Clearing

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग – 2
प्रपत्र संख्या – 43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा	भारतीय स्टेट बैंक
1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	मे0 उमा एसोसिएटस श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री रामगोपाल सिह
2. पता	निवासी एस–20/56–10–2 एफ–213, सोनल सदन दी माल रोड, कैन्टोमेन्ट वाराणसी।
3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो)	खण्ड सं०–9
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण	ग्राम कोदोपुर में उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल / भण्डारित बालू की उठान हेतु ई निविदा से अनुज्ञप्ति हेतु देय रायल्टी की अवशेष धनराशि– 21,98,000.00
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)	डी० डी० संख्या - 274955
5. चालान की सकल राशि–	0853–अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग 102
6. चालान की निबल राशि–	खनिजों रियायती फीस किराये और रायल्टी
7. लेखा–शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा–शीर्षक की मुहर:	

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड–

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 0	0 0	21,98,000.00

धनराशि (शब्दो मे)..इक्किस लाख अन्ठानबे हजार मात्र। योग 21,98,000.00

चालान में लेखा–शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्याः F7000147

शब्दो में रू0
अंको में रू0

दिनांकः ....

भारतीय स्टेट बैंक
मुख्य शाखा (0201) वाराणसी
समाशोधन द्वारा प्राप्त किया
29 JUN 2021
STATE BANK OF INDIA
MAIN BRANCH, VARANASI (0201)
Received By Clearing

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार
बैंक की मुहर सहित

…द / आनन्द सिंह
…गौतम ऑन्टोमेन्ट

पर्ची /PAY -IN-SLIP

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA SBI

शाखा/Branch ....सि.लाइन्स.........

नगद / अन्तरण
CASH/TRANSFER

दिनांक
Date 30/06/2021

खाते का प्रकार : बचत बैंक/चालू खाता/आवर्ती/कैश क्रेडिट/सावधि जमा
TYPE OF ACCOUNT : SB / CA / RD / CC / TL

खाता संख्या / Account Number

के बैंक खाते में जमा करने हेतु / For the Credit of the bank account of खाता संख्या – 37284364153
जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, वाराणसी

नकद/चेकों का विवरण / Details of Cash/Cheques (पर्ची के दूसरी ओर / Overleaf)	राशि/AMOUNT रू./Rs.	पै./P.
खाते में नकद जमा / Cash Deposit in the account		
नकदी रखरखाव शुल्क / Cash handling charges	2,94,800/	—
कुल जमा / TOTAL DEPOSIT	2,94,800/	—

रूपए (शब्दों में) / Rupees (In words) दो लाख चौरानवे हजार आठ सौ मात्र

कार्यालय उपयोग हेतु / FOR OFFICE USE

एसडब्ल्यूओ SWO	रोकड़ अधिकारी/पासकर्ता अधिकारी Cash Officer/passing Officer

डी डी आई - 274956

Taxpayers Counterfoil (To be filled up by taxpayer) | **SPACE FOR BANK SEAL**

TAN: A L D M 0 3 1 6 4 A

Received from: MINING DEPATMENT
(Name)

Cash/ Debit to A/c /Cheque No. 804061 For Rs. 58960.00

Rs. (in words) अट्ठावन हजार नौ सौ साठ रुपये मात्र।

drawn on

(Name of the Bank and Branch)

Company/Non-Company Deductees

on account of Tax Deducted at Source (TDS)/Tax Collected at Source (TCS) from ____(Fill up Code)

(Strike out whichever is not applicable)

for the Assessment Year 2022 - 23

Rs.

भारतीय स्टेट बैंक, [illegible]
[illegible]
58960
10 NOV 2021
चालान सं०/Challan No. 00031
BSR Code: 000020[illegible]

उमा स्टोनक्रेशर [illegible]

कार्यालय जिलाधिकारी खनिज अनुभाग वाराणसी